



संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....(श्रमिक / श्रमिका का नाम)सपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्रीइस संस्था में दिनांक.....सेके पद पर कार्यरत है तथा श्रमिक का मासिक वेतन (सभी भत्तों सहित).....रु0 है व श्रमिक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना पूर्णतया सत्य है एवं बोर्ड की योजना की शर्तों अनुसार कवर होता है । श्रमिक की ज्वार्इनिंग तिथि से संबंधित नियोक्ता के अंशदान समेत -----रु0 अंशदान की राशि बोर्ड में जमा करवा दी गई है । श्रमिक द्वारा उक्त लाभ के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया गया है । यदि किसी कारणवश श्रमिक को योजना के तहत देय राशि से अधिक राशि जारी हो जाती है तो अतिरिक्त अधिक राशि की रिकवरी श्रमिक के वेतन से करके श्रम कल्याण बोर्ड को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दी जाएगी ।

(संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित)